The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Matters under Rule 377. Shri Rawat. You will be followed by Shri Satyanarayan Jatia and Shri Natarajan and Shri Duleep Singh Bhuria.

(i) SUPREME COURT DECISION ON BONUS TO LIC EMPLOYEES

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोडा) : उपाध्यक्ष महोदय, 24 नवम्बर, 1974 को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों व प्रबंधकों के मध्य यह निर्णय हुआ था कि निगम के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित लाभांश का 15 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जायेगा । इस निर्णय के विरुद्ध निगम के प्रबंधकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 1980 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देने के उपरान्त भी जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकगणों द्वारा कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

इस विलम्ब के प्रति तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अतः केन्द्रीय वित्त मंत्री जी तत्काल हस्तक्षेप कर न्याय दिलवायें ।

(ii) PAYMENT OF ARREARS TO WORKERS AND FARMERS OF MAHIDPUR ROAD AND JAVARA SUGAR FACTORIES

श्री सत्यनरायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, महिदपुर रोड तथा जावरा के शक्कर कारखानों का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कर्मचारियों के पिछले बकाया, वेतन, रिटेनिंग राशि का तथा किसानों के गन्ने की मिल की ओर भुगतान शेष है। इसा प्रकार कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर्मचारियों का अंश तथा मिल क अंश का हिसाब भी ठीक नहीं है। सरकार द्वारा गन्ने की कीमत काफी कम घोषित की गई है। इसके कारण किसानों में निराशा है। किसानों की मांग है कि उन्हें कम से कम 30 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत का भुगतान किया जाये । ऐसी अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए सरकार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर मजदूरों का तथा किसानों का बकाया भुगतान करने की व्यवस्था करे, जिससे मिल सुचारू रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर सकें ।

(iii) REVISED WAGES FOR CARDAMOM WORKERS

SHRI CUMBUM N. NATARAJAN (Periyakulam): The small growers of cardamoms numbering about 11,780 having less than five acres of cardamoms cultivation are being advised to implement the revised wages agreed to at the Plantation Labour Committee. These revised wages are applicable to a day's work of 8 hours. All the other demands of the workers have been met in full and there cannot be any grievance in doing 8 hours' work. The Office of the Labour Commissioner, Trivandrum has, as late as 4th September, 1980 referred to section 19 of the Plantation Labour Act stipulating 54 hours of work a week. Here it is pertinent to point out that the revised wages are applicable only to adults and the revised wages for supervisors and children are yet to be settled by the Plantation Labour Committee. The Cardamom planters have accepted the revised wages from 1-4-80 for implementation. It is necessary to point out here that these revised wages have

Shri Cumbum N. Natarajan

not been accepted by Tea and Coffee Planters where 8 hours' work is compulsory.

In these small holdings, the organised trade unions are trying to reduce the working hours. A few local workers who are themselves owners of small holdings are demanding reduction in the working hours to look after their own work elsewhere. If this is allowed to become a general rule, then the production of cardamom will suffer grievously. There are instances when only two-hours' work is done in a day. When the small holders deduct proportionate wages, they are harassed, manhandled and pressurised to pay full wages by the organised trade-unions. They are unable to pay full revised wages for less than 8 hours' work. The export of cardamom will also decline by 50 per cent if only 5 hours or 4 hours work is done in the plantations. The Government of India should issue directives through Cardamom Board that the revised wages agreed to mutually will be made applicable only to 8 hours' work and not less than that. The Central Labour Ministry should intervene in eliminating multiplicity of Trade Unions and inter-union rivalry in the interest of the cultivation of this major foreign exchange earner.

(iv) ROCK PHOSPHATE FACTORY AT MEGHNAGAR (MP)

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन महत्वपूर्ण विषय को ओर हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पिछड़े हुए एवं आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर में 5 मिलीयन टन अच्छी किस्म का रॉक फासफेट उपलब्ध है । वर्तमान में माइनिंग कारपोरेशन, मध्य प्रदेश द्वारा इस रॉक फासफेट का माइनिंग किया जाता है एवं कच्चा माल बाहर की पार्टियों को विक्रय किया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश शासन को कारपोरेशन से रायल्टी के रूप में करोड़ों रुपए अब तक प्राप्त हो चुके हैं । परन्तु इस क्षेत्र में इतनी प्रचुर मात्रा में रॉक फासफेट उपलब्ध होते हुए एवं इस पर आधारित उद्योग लगाने की समस्त सुविधायें होते हुए भी इस क्षेत्र में कारखाना नहीं खुलने से भंयकर असंतोष व्याप्त है । यद्यपि, भारत शासन ने एक फर्म को मेघनगर में रॉक फासफेट पर आधारित कारखाना डालने हेतु आशय पत्र जारी किया है, किन्तु शासन द्वारा कुछ न कुछ तकनीकी दिकक्तें बताकर इस उद्योग को लगाने में विलम्ब से क्षेत्र में बहुत ही असंतोष फैल रहा है । यहां तक कि विगत दिनों मेघनगर में रॉक फासफेट कारखाना खुलवाने हेतु एक संघर्ष समिति का गठन भी किया गया है तथा संघर्ष समिति द्वारा आन्दोलन, धरना, चक्का जाम करना आदि निर्णय लिए गए हैं एवं यदि इस संबंध में शीघ्र ही कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कच्चा माल मेघनगर से बाहर नहीं जाने देने का भी निर्णय लिया है ।

अतः शासन यथाशीघ्र निर्णय कर मेघनगर में रॉक फासफेट पर आधारित कारखाना खुलवाने की व्यवस्था करे ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सके एवं आदिवासियों को भी मजदूरी के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़े ।

(v) INTRUSION BY FOREIGN FISHING SHIPS IN INDIAN SEA WATERS

SHRI N. DENNIS (Nagercoil): Sir, with your permission I want to raise a matter uder rule 377.

It is absolutely essential to stop immediately the interference and acts of 'intrudence' of foreign fishing ships in the sea water of our country causing great alarm and concern to our traditional fishermen. Such acts of 'intrudence' and intereference in our sea water has become a regular act in the Southern Sea waters of our country—Bengal Sea, Arbian Sea and